20 पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित।
वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं० 2515/2 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि ग्राम मेजा परवार हल्का मेजा तहसील माण्डल जिला - भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि प्रार्थी के काश्त हेतु आने जाने जुताई हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं० 01 लगायत 03 की आराजी नं० 2544 के दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर आराजी नं० 2515/1 के दक्षिण दिशा की मेड़ पर 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट मे बताया गया कि प्रार्थी की आराजी न. 2515/2 मे पहुंचने के लिए आराजी नं० 2508 के रेकॉर्डड रास्ते से होकर आता जाता है। ओर वर्तमान मे आराजी नं० 2508 रकबा 0.04 गै.मु. रास्ता है जो प्रार्थी की आराजी मे आकर बंद होता है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि पुराना रिकार्डड रास्ता है जिसे विपक्षीगण ने अवरूद्ध कर रखा है, पुन: 1.12.19 की मौका रिपोर्ट मे दूरी नही दी गई व रास्ते की लघुतम जानकारी भी नही है। एंव विपक्षी अधिवक्ता के जवाब मे 2808 आराजी लिखा हुआ है, कोई जमाबंदी पेश नही की। वकील अप्रार्थी जब की अपनी बहस मे बताया की प्रार्थी आराजी स. 2508 मे ही आ जा रहा है व पहले से ही रास्ता है प्रार्थी ने स्वंय रास्ते का बन्द कर रखा है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज।
	आदेश ::
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 8/06/04/2020
	उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: